(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निग़रानी 3543–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/2011–12.

भारतसिंह उर्फ राजेंद्रसिंह आ0हरनामसिंह
निवासी भीलाखेडी तह.डोलरिया
जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सरबजीतसिंह कौर पत्नि हरजीत सिंह कौर,
निवासी सूरजगंज इटारसी तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद .....अनावेदिका

श्री जे0पी0शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार इटारसी जिला होशंगाबाद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा भीलाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 104/2 रकबा 0.761 हेक्टेयर, 112/6 रकबा 0.761 हेक्टेयर एवं 104/1 रकबा 0.502 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वर्ष 2007 तक दर्ज रही, परन्तु वर्ष 2009 के खसरे में सर्वे कमांक 104/2 रकबा 0.761 हेक्टेयर भूमि दर्ज नहीं है, तदनुसार अभिलेख दुरूस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ—6—अ/2008—09 दर्ज कर जॉच की जाकर संशोधन पंजी कमांक 69 दिनांक 9—5—2001 मे ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 17—6—2001 के प्रस्ताव कमांक 14 के आधार पर किये गये नामान्तरण की पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23—9—2011 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18—9—2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) कलेक्टर द्वारा दिनांक 18—9—12 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश नहीं मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि कलेक्टर के मत में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश नहीं था, तब निगरानी में सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा की गई जॉच के विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित किया है कि आवेदक को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का पर्याप्त अवसर तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया है ।

(4) अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर राजेंद्रसिंह, देवेन्द्रसिंह, शैलेन्द्रसिंह एवं आवेदक का कब्जा है, अतः कब्जे की जानकारी होने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा संशोधन पंजी कमांक 69 पर विधि विपरीत तरीके से नामान्तरण करा लिया था, जिसके पुनर्विलोकन की अनुमति मांगने में तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही की गई थी और पुनर्विलोकन निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(5) तहसीलदार द्वारा जॉच में स्पष्ट पाया गया था कि चकबंदी में हुई त्रुटि के कारण आवेदक का नाम कम हो गया है इसलिये पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई थी, जिसे नहीं देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 2007 तक आवेदक के नाम दर्ज रही है और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का किसी प्रकार का कोई अन्तरण नहीं किया गया है, अतः उसका नाम कम किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं देने में त्रुटि की गई है और कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है ।

(7) नामान्तरण पंजी पर अनावेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर बिना किसी स्वत्व के दर्ज किया गया है जो कि पूर्णत अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 46(ख) के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में विधिनुकूल कार्यवाही की गई है ।

(2) कलेक्टर द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील एवं निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से इसी आधार पर यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप इस निगरानी में नहीं किया जा सकता है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(5) खसरा वर्ष 1987–88 लगायत 2001–02 तक प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 104/2 रकबा 0.761 टेकसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहा है और अनावेदक द्वारा वर्ष 1996 में भूमि क्रय की गई जाकर संशोधन पंजी वर्ष 2001 में उसका नाम दर्ज किया गया है जो कि विधिसंगत कार्यवाही होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) आवेदक द्वारा केवल कब्जे के आधार पर अपना नाम दर्ज किये जाने की मॉग की गई है, अतः यह पुनर्विलोकन का आधार नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(7) नामान्तरण पंजी पर आदेश होने के उपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त नहीं करने का लाभ लेकर आवेदक अपना नाम दुरूस्त कराना चाहता है, इसलिये भी यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन में पारित आदेश

दिनांक 23–9–2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से पुनर्विलोकन अस्वीकार किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि संहिता की धारा 46–ख के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र नामंजूर किये जाने के संबंध में अपील नहीं होगी । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है, परन्तु आवेदक विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर